न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,नव सृजित न्यायालय मथुरा।

२४.०६.२०१९

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य परिपत्र एवं विशेष परिपत्र एवं धारा १५१ सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में आगामी गुरू/आषाढ पूर्णिमा तिथि को भारत एवं विश्व के अन्य देशों से आने वाले एक करोड़ से अधिक श्रृद्धालुओं को कोई असुविधा कारित न हो इस कारण निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है –

आदेश

श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक २६.०६.२०१९ को समय दोपहर १.०० बजे दिन बुधवार इस न्यायालय में कराया जाना है। इच्छुक ठेकेदार समय पर पहुंचकर नीलामी की बोली में भाग लें। समय के उपरांत आने पर बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस भेंट ठेके की अवधि ३०.०६.२०१९ की मध्य रात्रि से दिनांक ३१.०७.२०१९ की मध्य रात्रि तक रहेगी। भेंट ठेके की प्रमुख नियम व शर्त निम्नलिखित है –

१– दिनांक ३०.०५.२०१९ को न्यूनतम बोली मु० ४०,००,०००/–(चालीख लाख रूपये से) प्रारम्भ की गयी थी। चूंकि इस बार गुरू पूर्णिमा का विश्व प्रसिद्ध मेला भी इसी भेंट ठेके की अवधि में है। इस कारण अब की बार न्यूनतम बोली मु० ५०,००,०००/–(पचास लाख रूपये से)प्रारम्भ की जायेगी।

२– प्रत्येक ठेकेदार आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति तथा चैकबुक साथ लेकर आयेगा यहां चैक की संख्या इस कारण नहीं लिखी गयी है क्योंकि अगर गलत प्रविष्टि ठेकेदार द्वारा कर दी गयी तब नवीन चैक प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

३– कार्यभार गृहण करने से पूर्व जो धनराशि निर्धारित की जायेगी उसका पचास प्रतिशत २९जून २०१९ तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा तथा शेष पचास प्रतिशत १२ जुलाई २०१९ तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा। यह इस कारण किया गया है क्योंकि १६जुलाई २०१९ को भेट ठेके की अवधि का मुख्य पर्व है।

४– दोनों ही चैक अविलंब जमा करने होगें प्रथम चैक जो आधी धनराशि का होगा उसको २९ जून २०१९ तक सम्बन्धित बैंक से Clear कराना अनिवार्य होगा। द्वितीय चैक जो शेष धनराशि का होगा उसको १२जुलाई २०१९ तक सम्बन्धित बैंक से Clear कराना अनिवार्य होगा। रसीदें जमा करना अनिवार्य है।

५– जो भी ठेकेदार नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होगें उनको पांच लाख रूपये की धनराशि बतौर जमानत बोली लगने से पूर्व जमा करनी होगी।

६– अंतिम बोली पश्चात जिसको ठेकेदार को चार्ज दिया जाना है उसको मु० १,००,०००/–रूपये एक लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफट भी जमा करना होगा।

७– बोली इस प्रकार लगायी जायेगी मु० ५०,००,०००/–पचास लाख रूपये से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उक्त बोली की धनराशि को चुनौती देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अंत में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा उसको प्रस्तावित रूप से ठेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

शेष पृष्ठ –२ पर

24/06/19

पृष्ठ–१ से आगे

८– किसी भी अंतिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को होगा।

उपरोक्त शर्तो के अधीन सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक २६.०६.२०१९ को समय दोपहर १.०० बजे भेट ठेके की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी। नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मथुरा समुचित व्यवस्था करने का प्रबंध करें।

यह आदेश दो पृष्ठ का है। 24/06/19

दिनांक २४.०६.२०१९

(अमर सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/

अपर सिविल जज (सी०डि०)

नव सृजित न्यायालय, मथुरा।

प्रतिलिपि–

१– न्यायालय के वेवसाइट e-court.Gov.in/mathura पर अपलोड किये जाने हेतु।

२– सूचना अधिकारी मथुरा को समस्त स्थानीय समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

३– नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय परिसर मथुरा।

४–नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी मथुरा।

५–नोटिस बोर्ड जिला पंचायत मथुरा।

६–नोटिस बोर्ड तहसील गोवर्धन मथुरा।

७–नोटिस बोर्ड होलीगेट मथुरा।

८–नोटिस बोर्ड नगर पालिका मथुरा।

९–नोटिस बोर्ड जिला न्यायाधीश कार्यालय मथुरा।

१०–दैनिक राजपथ मथुरा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

११–बृज उपहार को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

१२– बृजगरिमा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

१३– दैनिक छोटी सी बात समाचारपत्र को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

१४–नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।

१५– नोटिस बोर्ड मन्दिर दानघाटी मथुरा।

१६– नजारत अनुभाग जिला न्यायालय मथुरा।